राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

विधि–60–68 / 2026
(C.W.J.C. No. 7889/2026)
पुष्पा झा बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य।

–: तार्किक आदेश :–

वाद संख्या–विधि 60–68 / 2026 / 4100 **पटना, दिनांक–** 16/10/2026

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद–C.W.J.C. No- 7889/2026, पुष्पा झा बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में **दिनांक–25.06.2026** को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये न्यायनिर्णय का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"4. During the course of argument, learned counsel for the petitioner submits that the petitioner may be permitted to file a representation before the respondent no. 2 i.e., the State Election Commission, Bihar and appropriate direction may be issued to dispose of the same within a fixed time frame. After giving an opportunity of hearing to the petitioner.

5. To the aforesaid prayer being made by learned counsel for the petitioner, learned counsel appearing for respondent does not have any objection.

6. Considering the limited nature of prayer being made by learned counsel for the petitioner, this writ application is disposed of granting liberty to the petitioner to file a representation/application before the respondent no. 2, i.e. The State Election Commission, Bihar within 15 days from today and if such a representation/application filed within the stipulated time then the respondent no. 2 i.e. the State Election Commission, Bihar is directed to disposed of the same withing a period of three months from the date of receipt of such representation/application, after giving an opportunity of hearing to the petitioner.

7. Needless to emphasize that the final order which shall be passed by the respondent no. 2, should be a reasoned and speaking order.

8. This court has not expressed any opinion on the merit of the case including maintainability of the writ application.

9. With the aforesaid observation/direction and liberty granted, this writ application is disposed of."

2. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये उक्त निर्णय के आलोक में दिनांक–07.07.2026 को आयोग में दिये गये Representation पर आयोग में सुनवाई दिनांक–06.08.2026 तथा दिनांक–01.10.2026 को की गई, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में नैसर्गिक न्याय के नियम का अनुपालन करते हुये, श्रीमती पुष्पा झा(वादी) एवं सभी प्रभावित पक्षों अर्थात् C.W.J.C. No-7889/2026 के **'प्राईवेट'** पक्षकारों को उ[redacted]क्ष रखने हेतु पूर्ण अवसर प्रदान किया गया।

वादी श्रीमती पुष्पा झा की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता कुमार हर्षवर्द्धन द्वारा उनका पक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्री मनोज कुमार सिंह (पंचायत समिति सदस्य) सिंघवाड़ा पंचायत समिति द्वारा स्वयं अपना पक्ष रखा गया। शेष प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा उनका पक्ष आयोग के समक्ष रखा गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल के विरूद्ध दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसपर जिला प्रशासन की तरफ से अग्रेत्तर कार्रवाई की गयी है, जो कि बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। साथ ही साथ यह माननीय उच्चतम् न्यायालय के द्वारा निर्धारित मापदंड के भी विरूद्ध है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल के विरूद्ध सर्वप्रथम दिनांक–23.12.2023 को अध्यापेक्षा दी गयी थी, जिसके आलोक में दिनांक–06.01.2024 की तिथि विशेष बैठक हेतु उनके मुवक्किल द्वारा निर्धारित की गयी थी, परन्तु वैधानिक प्रावधानों के अधीन **'कोरम'** पूरा नहीं होने के कारण बैठक बिना किसी तार्किक परिणति के समाप्त हो गयी।

प्रतिवादियों द्वारा प्रथम बैठक को पुनर्जीवित करने के बजाय द्वितीय अध्यापेक्षा दिनांक–27.12.2024 को समर्पित की गयी। उनके मुवक्किल द्वारा द्वितीय अध्यापेक्षा की वैधता को माननीय उच्चतम् न्यायालय में चुनौती दी गयी थी।

उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि SLP(C) No.12490/2024, रश्मि सिंह बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–10.02.2026 को अंतरिम आदेश तथा दिनांक–10.03.2026 को अंतिम न्याय–निर्णय पारित किया गया। पारित न्याय–निर्णयों में यह स्पष्ट आदेश है कि जहाँ प्रथम बैठक अंतिम तार्किक परिणति तक नहीं पहुँचा है, उसे पुनर्जीवित कर अंतिम तार्किक परिणति तक पहुँचाया जाए। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि माननीय न्यायालय के आदेश तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 के प्रावधानों के तहत द्वितीय अध्यापेक्षा एवं द्वितीय अविश्वास प्रस्ताव अनुमन्य नहीं है।

उनके द्वारा यह दावा किया गया कि स्वयं आयोग द्वारा उक्त विधिक स्थिति को स्वीकार करते हुए, जिला परिषद्, सारण के अध्यक्ष पद हेतु निर्धारित निर्वाचन तिथि को वापस ले लिया गया।

पुनः उनके द्वारा दावा किया गया कि आयोग द्वारा अपने पत्रांक–2518, दिनांक–18.06.2026 से अध्यक्ष जिला परिषद्, सारण के निर्वाचन हेतु लिये गये, अपने पूर्व के Stand/निर्णय को परिवर्तित करते हुए, माननीय उच्चतम् न्यायालय के न्याय–निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अध्यापेक्षा पर आधारित अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, दरभंगा से माँगा गया है।

उनके द्वारा यह दावा किया गया कि आयोग के पत्रांक–2518, दिनांक–18.06.2026 माननीय उच्चतम् न्यायालय के आदेश एवं बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 के प्रावधानों के प्रतिकूल है, क्योंकि ये दुबारा अविश्वास प्रस्ताव पर प्रतिषेध अधिरोपित करते हैं।

उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि कुछ समरूप मामलों में हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा स्थगन आदेश निर्गत किया गया है, ताकि संबंधित जिला प्रशासन द्वितीय अविश्वास प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्रवाई न कर सकें।

प्रतिवादियों की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा आयोग को बताया गया कि माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली के न्याय–निर्णय के आलोक में सिंघवाड़ा प्रखण्ड के रिक्त हुए, प्रमुख के पद पर निर्वाचन हेतु आयोग द्वारा उठाया गया कदम नियमानुकूल है। अतः अविलम्ब रिक्त पद पर निर्वाचन हेतु तिथि निर्धारित की जानी चाहिए।

प्रतिवादी श्री मनोज कुमार सिंह (पंचायत समिति सदस्य) सिंघवाड़ा पंचायत समिति द्वारा अपना लिखित पक्ष समर्पित किया किया गया तथा आयोग से अनुरोध किया गया कि उनके लिखित पक्ष को **'रेकर्ड'** पर लेते हुए, उनके अनुरोध को स्वीकार किया जाए।

श्री सिंह के लिखित Submission में यह अंकित किया गया है कि सिंघवाड़ा प्रखण्ड पंचायत समिति में कुल 36 निर्वाचित सदस्य हैं। प्रारंभ में वर्तमान प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, परन्तु उसमें मतदान की प्रक्रिया नहीं हो सकी थी। इस कारण प्रथम अविश्वास प्रस्ताव वास्तविक मतदान के अभाव में अपने तार्किक परिणाम तक नहीं पहुँच सका। इस कारण निर्वाचित सदस्यों द्वारा नया अध्यापेक्षा दिनांक–27.12.2024 को अविश्वास प्रस्ताव हेतु दिया गया, जिसके तहत दिनांक–15.01.2025 को विशेष बैठक आहूत की गयी। बैठक में गुप्त मतदान के तहत मत विभाजन की प्रक्रिया की गयी, जिसमें 20 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया गया, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में कोई मतदान नहीं किया गया। इस प्रकार कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत से अधिक से सदस्यों की संख्या से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अतः रिक्त प्रमुख के पद पर अविलम्ब निर्वाचन कराना चाहिए। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा L.P.A. No. 698/2026, Pinki Devi@ Pinki Singh Vs. The State of Bihar & Ors. में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्विसदस्यीय पीठ द्वारा दिनांक–21.08.2026 को संदर्भित किया गया है, जिसमें समरूप मामले में माननीय न्यायालय द्वारा Fresh Requisition एवं इसके आधार पर पारित अविश्वास प्रस्ताव को सही माना है।

4. आयोग द्वारा वादी के Representation, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 7889/2026 में पारित आदेश दिनांक–25.06.2026 एवं माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Special Leave Petition (Civil) No.12490/2024 (Rashmi Singh Vs. The State of Bihar & Others) with Civil Appeal No...../2026 (Arising (No. 37207/2024) (Sangeeta Devi Vs. The State of Bihar & Others) में दिनांक–10.0 रित–न्याय–निर्णय से मार्ग–दर्शन प्राप्त करते हुए,

बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 के संगत प्रावधानों के साथ–साथ वादी के तर्कों का परीशीलन किया गया, तो यह पाया गया कि:–

"वादी का अनुरोध सिंघवाड़ा प्रखण्ड के पंचायत समिति के प्रमुख के रिक्त पद पर निर्वाचन की तिथि इस आधार पर घोषित नहीं करने से संबंधित है कि उनके विरूद्ध द्वितीय अध्यापेक्षा लाकर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है, जो कि बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 के प्रावधानों के प्रतिकूल है।"

वादी श्रीमती पुष्पा झा द्वारा यह स्वयं स्वीकार किया गया है कि उनके विरूद्ध सर्वप्रथम दिनांक–23.12.2023 को अध्यापेक्षा दी गयी थी, जिसके आलोक में दिनांक–06.01.2024 को विशेष बैठक आहूत की गयी थी, परन्तु कोरम के अभाव में गुप्त मतदान के तहत मत विभाजन की प्रक्रिया नहीं हो सकीं। स्पष्ट है कि बैठक अपने तार्किक परिणति (Logical Conclusion) तक नहीं पहुँच सकीं, जिससे यह ज्ञात नहीं हो पाया कि वादी श्रीमती पुष्पा झा को प्रखण्ड पंचायत समिति में प्रमुख का पद धारण करने हेतु बहुमत प्राप्त है, अथवा नहीं।

वादी द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया गया है कि रश्मि सिंह वाद में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश तथा अंतिम न्याय–निर्णय के आलोक भें उनके विरूद्ध पारित अविश्वास प्रस्ताव को अविधि पूर्ण मानते हुए, रिक्त पद पर निर्वाचन कराने की कार्रवाई नहीं की जाए।

आयोग द्वारा वादी द्वारा संदर्भित रश्मि सिंह वाद में माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित अंतिम न्याय–निर्णय के प्रभावकारी अंश से मार्ग–दर्शन प्राप्त किया गया, जो निम्नवत् है:–

"B.4 Conclusion

45. We, thus, find that the text of Section 70(4) is plain and clear, and it falls in line with the underlying legislature intent. Accordingly, we hold that an Adhyaksha or Up-Adhyaksha can be removed only if the resolution of no-confidence is supported by more than half of the total number of elected members for it to pass. This interpretation is warranted not only by the expressions used in the provision but also is directed at protecting the democratic integrity of the framework of local self-governance in the State of Bihar.

46. At the cost of repetition, this finding would also apply analogously to Section 44(3), The opinion of the Full Bench of the High Court, as given in the impugned judgement, is thus held to be erroneous in law.

C. DIRECTIONS

47. For the reasons set out above, the instant appeals are allowed, and the following direction are issued:

(i) The Impugned Judgement of the High Court is set aside:

(ii) The Judgement in Dharamsheela Kumari (Supra) is modified to the extent of the conclusion drawn in Paragraph 45 of this Judgement, and the decision in Sarita Kumari (Supra) is affirmed:

(iii) All the no-confidence motions across the State of Bihar, which remain pending or are to be taken up in future under Sections 44(3) and 70(4) of the Panchayat Act, shall be considered strictly as per the procedure contained in the said Sub-Sections and the threshold out lined in Paragraph 45 of this Judgement: and

(iv) In light of the above direction, the interim orders issued from time to time in these appeals stand modified to the extent that the process directed in Paragraph 2 of this Court's order dated 10.02.2026 shall be taken to its logical conclusion, as per the terms stipulated therein. The same shall be concluded by 31.05.2026."

वादी का दावा कंडिका–47(iv) के अन्तर्गत है। अतः माननीय उच्चतम् न्यायालय में नई दिल्ली द्वारा संदर्भित वाद में पारित अंतरिम आदेश दिनांक–10.02.2026 के प्रभावकारी अंश का भी अवलोकन किया गया, जो निम्नवत् है:–

"2. In light of the circumstances pointed out in Court, we find it appropriate to modify the interim orders passed from time to time by this court to the following effect:

(i) In the following cases, a fresh special meeting shall be called regarding the no-confidence motion:

a. The no-confidence motion was not voted upon in the first meeting; or

b. The no-confidence motion has been voted upon in the first meeting with less than half of the total elected members having in favour of the motion;

(ii) Such special meetings shall be held notwithstanding the outcome of the second meeting on the no-confidence motion, if any, or the second no-confidence motion, if any, having been notified;

(iii) In the fresh special meetings, the motion shall be voted upon only if at least two-thirds of the total elected members are present and voting;

(iv) The no-confidence motion shall be held to have passed if more than half of the total elected members vote in favour of the no-confidence motion;

(v) The no-confidence motion shall be taken to have failed if the minimum members prescribed in clause (iii) are not present or if the required votes as per clause (iv) are not met; and

(vi) In case the no-confidence motion succeeds, the State Authorities and the State Election Commission shall to proceed with the relevant procedure for conducting bye-elections to the newly vacant positions.

3. It is clarified that the above modification shall only apply to the cases involved in the present batch of petitions, specifically only those covered by clause (i), above. The interim protection granted in other cases before us, which are not covered by the said clause, shall continue to operate."

माननीय उच्चतम् न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा पारित उक्त अंतिम न्याय–निर्णय एवं अन्तरिम न्याय–निर्णय से स्पष्ट है कि अन्तरिम न्याय–निर्णय में उल्लेखित शर्त्त केवल रश्मि सिंह वाद के साथ संलग्न Batch of petitions पर ही लागू है। चूँकि वादी का मामला माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली में रश्मि सिंह वाद के साथ संलग्न/सूचीबद्ध नहीं था, जिसकी स्वीकारोक्ति उनके द्वारा दी गयी है, रश्मि सिंह वाद में दिये गये अन्तरिम आदेश के शर्त्तों से आच्छादित नहीं होता। यही कारण है कि वादी द्वारा सारण जिला परिषद् के मामले में दिया जा रहा दृष्टांत विचाराधीन मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि जिला परिषद् सारण का मामला रश्मि सिंह वाद के साथ माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली में सूचीबद्ध था, जबकि वादी का मामला वहाँ सूचीबद्ध नहीं था।

वादी के द्वारा दूसरा तर्क दिया गया है कि प्रथम विशेष बैठक दिनांक–06.01.2024 को 'कोरम' के अभाव में नहीं होने के कारण प्रथम अध्यापेक्षा दिनांक–23.12.2023 के आलोक में कार्रवाई होनी चाहिए न कि नये अध्यापेक्षा दिनांक–27.12.2024 के आलोक में कार्रवाई होनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा धर्मशीला वाद में यह स्थापित किया है कि:–

"Section 44(3) of the Act mandates a motion of no confidence to be put to vote by way of a secret ballot."

"In the absence of the motion being put to vote, the legal bar of moving a fresh motion of no confidence stipulated under section 44(3)(ii) would not be attracted.

स्पष्ट है कि यदि प्रखण्ड के प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो गुप्त मतदान के तहत मत विभाजन की प्रक्रिया अपनाये बिना सम्पूर्ण कार्यवाही को तार्किक परिणति (Logical Conclusion) प्राप्त नहीं करने के कारण पुनः दुहराया जायेगा, अर्थात् बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 का यह प्रतिषेध कि प्रमुख के विरूद्ध एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के उपरांत उसके उस कार्यकाल में पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता (धारा–44(3)(ii)) लागू नहीं हो सकता, क्योंकि गुप्त मतदान के तहत मत विभाजन के बिना अविश्वास प्रस्ताव का तार्किक परिणति(Logical Conclusion) प्राप्त नहीं होता।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित धर्मशीला वाद के उक्त निर्णय को माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा e Petition (Civil) No.12490/2024 (Rashmi Singh Vs. The State of Bihar & Others) peal No...../2026 (Arising out of Diary No.

37207/2024) (Sangeeta Devi Vs. The State of Bihar & Others) में दिनांक–10.03.2026 को अंतिम न्याय–निर्णय में सम्पुष्ट किया गया है।

प्रतिवादी श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा संदर्भित L.P.A. No. 698/2026, Pinki Devi@ Pinki Singh Vs. The State of Bihar & Ors. में भी माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्विसदस्यीय पीठ द्वारा माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली के न्याय–निर्णय के उपरांत Logical Conclusion हेतु द्वितीय अविश्वास प्रस्ताव को सही ठहराया गया है।

स्पष्ट है कि किन्हीं कारणों से गुप्त मतदान के तहत मत विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती, तो ऐसी बैठक की सम्पूर्ण कार्रवाई को विधि मान्य नहीं माना जा सकता है, जिसके फलस्वरूप बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–44(3)(ii) का प्रतिषेध लागू नहीं होता।

उक्त वर्णित स्थिति में जबकि वादी द्वारा स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उनके विरूद्ध लाये गये प्रथम अविश्वास प्रस्ताव दिनांक–06.01.2024 को 'कोरम' के अभाव में गुप्त मतदान के तहत मत विभाजन नहीं हुआ था, अर्थात् अविश्वास प्रस्ताव Logical Conclusion को प्राप्त नहीं कर सका। अतः सदस्यों द्वारा दिनांक–27.12.2024 को दिया गया अध्यापेक्षा एवं तदनुसार दिनांक–15.01.2025 को आहूत विशेष बैठक तथा कुल निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव पूर्णतः विधिमान्य है।

उक्त वर्णित स्थिति में वादी के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में सदन की बहुमत को सर्वोपरी स्थान प्रदान किया गया है। दिनांक–15.01.2025 को अविश्वास प्रस्ताव के गुप्त मतदान के तहत मत विभाजन में श्रीमती झा के विरूद्ध 36 सदस्यीय सदन में 20 सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित है। साथ ही साथ माननीय उच्चतम् न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रश्मि सिंह वाद में पारित न्याय–निर्णय के आलोक में दिनांक–27.12.2024 की अध्यापेक्षा, दिनांक–15.01.2025 को आहूत विशेष बैठक एवं पारित अविश्वास प्रस्ताव पूर्णतः विधिमान्य है तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 के प्रावधानों के अनुकूल है। अतः सिंघवाड़ा प्रखण्ड के पंचायत समिति प्रमुख के रिक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस निर्णय/आदेश की प्रति निर्वाचन संचालन शाखा को रिक्त पद पर निर्वाचन हेतु तिथि निर्धारित कराने के लिए हस्तगत करा दी जाए।

उक्त आदेश के साथ दायर Representation को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाए।
अधोहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।
16.10.2026

ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।
16.10.2026

वाद संख्या–विधि 60–68/2026/4100 पटना, दिनांक–16/10/2026

प्रतिलिपि–सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त
16/10/26

वाद संख्या–विधि 60–68 / 2026 / 4100 पटना, दिनांक– 16/10/2026

प्रतिलिपि–जिला दंडाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, **दरभंगा** / जिला पंचायती राज पदाधिकारी, **दरभंगा** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, **दरभंगा** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक / ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

वाद संख्या–विधि 60–68 / 2026 / 4100 पटना, दिनांक– 16/10/2026

प्रतिलिपिः–**वादी** श्रीमती पुष्पा झा, पति–श्री नील मान्य झा, पता–मिर्जापुर जागनी, थाना–सिंघवाड़ा, प्रखण्ड–सिंघवाड़ा, जिला–दरभंगा।

प्रतिवादी 1. श्रीमती इन्दु देवी, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–01, शनाहपुर बुजुर्ग, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

2. सीता राय, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–02, राजा, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

3. श्रीमती पुष्पा कुमारी, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–03, रामपुरा, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

4. श्रीमती वीणा देवी, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–05, शंकरपुर, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

5. श्रीमती रजनी खातुन पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–06, शंकरपुर, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

6. श्रीमती नगीना देवी, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–07, कटका, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

7. श्री राजा पासवान, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–08, कटका, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

8. श्रीमती किरण देवी, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–09, हरिहरपुर पूर्वी, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

9. जरीना खातुन, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–10, हरिहरपुर पूर्वी, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

10. मो0 आरिफ आलम, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–11, हरिहरपुर पूर्वी, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

11. श्री दिलीप दास, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–12, टेकतारी, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

12. श्री शाहनावाज दास, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–13, टेकतारी, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

13. मो0 कैशर अंसारी, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–14, टेकतारी, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

14. श्रीमती मधु देवी, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–15, कलीगॉव, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

15. श्री प्रमोद कुमार राय, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–16, अरगौस, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

16. श्री भरत भूषण, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–17, भवानीपुर, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

17. श्रीमती मंजू देवी, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–18, भवानीपुर, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

18. श्रीमती अर्चना देवी, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–19, मनीकौली, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

19. श्री प्रमोद कुमार सिंह, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–20, मनीकौली, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

20. श्री मणीक कुमार, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–21, कटासा, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

21. श्रीमती ललिता देवी, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–22, कटासा, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

22. श्रीमती मुन्नी देवी, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–23, महरौली, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

23. श्री बैरो कुमार, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–24, कटासा, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

24. श्रीमती पूनम दास, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–25, रामपुरा, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

25. श्री शांतो देवी, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–26, रामपुरा, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

26. मो0 सलमान अंसारी, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–27, सिहोरी, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

27. श्रीमती रिंकु कुमारी यादव, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–28, सिहोरी, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

28. श्रीमती बबिता देवी, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–29, भरवाड़ी, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

29. श्री सुनील दास, पंचायत स[illegible] 0नि0क्षे0 सं0–30, माधोपु बस्तवाड़ा, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

30. श्रीमती कंचन देवी, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–31, माधोपु बस्तवाड़ा, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

31. श्री चकोर नारायण राय, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–32, अराई बिरता, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

32. श्रीमती रूबीना, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–33, अराई बिरता, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

33. श्रीमती भूमि देवी, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–34, हारपुर, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

34. श्री लाल बाबू पासवान, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–35, भरवाड़ा, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा।

35. श्रीमती उषा देवी, पंचायत समिति सदस्य, प्र0नि0क्षे0 सं0–36, बनौली, प्रखंड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

वाद संख्या–विधि 60–68/2026/ 4100 पटना, दिनांक– 16/10/2026

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर/श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर/श्री वैष्णो कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

इस पत्र के सत्यापन हेतु त्वरित (QR) कोड को स्कैन करें।